13-12-2014

प्रकरण आज दिनांक को राष्ट्रीय वृहद लोक अदालत में सुनवाई हेतू नियत है।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. श्री अनिल माहोरे। आरोपीगण सहित श्री आर.के.चौहान अधिवक्ता उपस्थित। फरियादी राजेन्द्र परवार स्वयं उपस्थित।

प्रकरण में पूर्व पेशी दिनांक को उभयपक्ष की ओर से राजीनामा पेश किया गया है जिसे तस्दीक किया जा चुका है। उभयपक्ष की और से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। आरोपी के विरूद्ध सभी अपराध शमनीय होने से आरोपीगण सुदामादास, भुक्तामदास, झुम्मुकदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 माग्निदो के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

अारोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे।

का परिणाम दर्ज किया प्रकरण जाकर अभिलेखागार में जमा किया जाये।

> (सिराज अली) THE PARTY PROPERTY OF THE PARTY न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर

सदस्य